"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 523] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 6 नवम्बर 2015 — कार्तिक 15, शक 1937

राज भवन
रायपुर

रायपुर, दिनांक 6 नवम्बर 2015

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-6/2012/रास/यू. 12. — छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2005 की धारा 17 की उपधारा (2) में निहित प्रावधानानुसार डॉ. सी. व्ही. रमन विश्वविद्यालय, बिलासपुर में कुलपति के पद के लिए पेनल प्रस्तुत करने के लिए कुलाध्यक्ष द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों की खोजबीन समिति गठित की जाती है :-

1. डॉ. ए. एस. झड़गांवकर
   पूर्व निदेशक, एन. आई. टी., रायपुर
   एवं पूर्व कुलपति, डॉ. सी. व्ही. रमन
   विश्वविद्यालय, बिलासपुर
   \- डॉ. सी. व्ही. रमन विश्वविद्यालय द्वारा नामांकित

2. प्रो. वी. के. वर्मा
   कुलपति, AISECT विश्वविद्यालय, भोपाल
   एवं पूर्व निदेशक, प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
   संस्थान बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल
   \- डॉ. सी. व्ही. रमन विश्वविद्यालय द्वारा नामांकित

3. डॉ. देवेन्द्र नाथ वर्मा
   अपर संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय
   इन्द्रावती भवन, नया रायपुर
   \- राज्य शासन द्वारा नाम नामांकित

2. डॉ. ए. एस. झड़गांवकर को उक्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है.

3. उपर्युक्त समिति यह अधिसूचना प्रसारित होने से 08 (आठ) सप्ताह की समयावधि में न्यूनतम 03 (तीन) ख्याति प्राप्त शिक्षाविदों का पेनल माननीय कुलाध्यक्ष को प्रस्तुत करेगी.

हस्ता./-
(जनमेजय महोबे)
राज्यपाल के संयुक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2015.